G20 भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता
(A Government of India Enterprise)
CIN:L74999DL2003GOI118633

पत्र क्र. 12.5 A RVNL BPL/Forest Corres | दिनांक: 18.10.2024

प्रति,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंधन) म.प्र
वन भवन भोपाल,

विषय : देवास एवं सीहोर जिले में बुदनी-इन्दौर नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु देवास वन मण्डल की 45.715 हेक्टेयर वनभूमि एवं सीहोर वन मण्डल की 24.920 हेक्टेयर वनभूमि कुल 70.635 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 70.775 हे.) रेल विकास निगम लिमिटेड, भोपाल को उपयोग पर देने बाबत्। **(ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/RAIL/42206/2019).**

संदर्भ
1 भारत सरकार MOEF RO Office BPL का पत्र क्रमांक 6 एमपीआर 040/2023- बीएचओ दिनांक: 22.07.2024.
2 आपका पत्र क्रमांक / एफ-5/1346/2023/10-11/3882 दिनांक: 24.07.2024.
3 इस कार्यालय का पत्र क्र. 12.5A/RVNL BPL/ Forest Corres दिनांक:-03.08.2024 एवं 13.09.2024.

विषयांकित में आपके संदर्भ पत्र क्रमांक 2 से MOEF RO Office BPL द्वारा चाहे गए observation point number 1 के संदर्भ में सीहोर जिले के अंतर्गत आवेदित 24.920 हेक्टेयर वन भूमि के विरुद्ध कुल 54.633 हेक्टेयर राजस्व भूमि (छोटे बड़े झाड़ का जंगल मद की) अनुभाग आष्टा के अंतर्गत आरक्षित होकर चिन्हांकित की जा कर भूमि हस्तांतरण आदेश जिला कलेक्टर सिहोर द्वारा निम्नानुसार जारी किए गये है।

कृ.	कलेक्टर **सीहोर का प्रकरण क्र/ दिनांक**	ग्राम का नाम	खसरा न.	रकवा न.
1	0035/ दिनांक 10.10.2024	गुंजारी तहसील जावर	86	11.938 हे.
2	0036/ दिनांक 10.10.2024	आमला मज्जु तहसील जावर	1/1	21.570 हे.
3	0037/ दिनांक 10.10.2024	भाऊखेड़ा तहसील जावर	278	21.125 हे.
			कुल राजस्व भूमि हे.	**54.633 हे.**

कलेक्टर महोदय द्वारा जारी उक्त हस्तांतरण आदेशो की प्रतियाँ आपके निर्देशानुसार परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर प्रकरण में आपसे अनुरोध है, कि संबंधित वन मंडल अधिकारी सीहोर को उक्त हस्तांतरित राजस्व भूमि पर क्षतिपूर्ति बनीकरण योजना तैयार करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि MOEF RO office BPL के observation point number 1 की पूर्ति की जाकर परियोजना कार्य मे अनावश्यक विलंब को रोका जा सके सादर प्रेषित ।

संलग्न:- हस्तांतरण आदेश प्रति-3

RAGHVENDRA SARASWAT
Digitally signed by RAGHVENDRA SARASWAT
Date: 2024.10.21 15:59:46 +05'30'

18/10

(राघवेन्द्र सारस्वत)
मुख्य परियोजना प्रबंधक
रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल

प्रतिलिपि :-वन मंडल अधिकारी सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कृपया आवेदित भूमि के विरुद्ध हस्तांतरित राजस्व भूमि पर क्षतिपूर्ति बनीकरण योजना तैयार करने हेतु संबंधित अधीनस्थों को आदेशित करने का कष्ट करें।

(1) (2) (3)

न्यायालय कलेक्टर सीहोर जिला सीहोर (म०प्र०)

प्रकरण क्रमांक 0035/अ-20(3)/2024-25

म.प्र. शासन

वन विभाग — आवेदक

विरूद्ध

सर्वसाधारण — अनावेदक

--आदेश--

(पारित दिनांक 18/10/2024)

अंतर्गत म०प्र० नजूल भूमि निर्वतन निर्देश–2020

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नजूल भूमि निर्वतन निर्देश–2020 अन्तर्गत सम्पर्क अधिकारी रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल द्वारा रेल लाईन निर्माण से प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को राजस्व भूमि का आवंटन हेतु ग्राम गुन्जारी तहसील जावर जिला सीहोर की आराजी खसरा क्रमांक 86 के कुल रकबा 11.938 हे० हे० मे से 11.938 हे० हे० भूमि नोईयत शासकीय रेल लाईन निर्माण से प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को राजस्व भूमि का आवंटन रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल को स्थाई रूप से आवंटन किये जाने प्रारूप – एक मे आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण विधिवत पंजीबद्ध किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी आष्टा से अध्याय–2 निर्देश–13 अंतर्गत मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश–2020 मे विहित प्रकिया अनुसार जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

3. तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रकरण न्यायालय मे विधिवत दर्ज किया जाकर सर्व साधारण को सूचनार्थ, आपत्ति आमंत्रण हेतु इश्तहार प्रकाशन कराया गया। प्रकाशन उपरात नियत समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। प्रकरण मे स्थानीय निकाय तथा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश से अभिमत चाहा गया। नियत समयावधि मे कोई अभिमत/आक्षेप प्राप्त नही हुआ। जाँच प्रकिया उपरात अनुविभागीय अधिकारी आष्टा द्वारा ग्राम गुन्जारी तहसील जावर जिला सीहोर की आराजी खसरा नम्बर 86 कुल रकबा 11.938 हे० हे० मे से 11.938 हे० हे० नोईयत शासकीय आबादी दर्ज अभिलेख है। प्रस्तावित भूमि का विवरण इस प्रकार है –

(1)

(2)

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	[illegible]	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	आवंटन [illegible]
01	[illegible]	86	शासकीय	[illegible]	11.938 हे0

4 अनुविभागीय अधिकारी आष्टा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन सहित प्रकरण मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश 2020 अध्याय 2 नियम 14 अंतर्गत जिला नजूल निर्वतन समिति के समक्ष भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति हेतु रखा गया। उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत समिति द्वारा ग्राम गुन्जारी तहसील जावर जिला सीहोर की आराजी खसरा क्रमांक 86 के कुल रकबा 11.938 हे0 11.938 हे0 भूमि नोईयत शासकीय भूमि की नोईयत धारा 237 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत नजूल घोषित करते हुये स्थाई आवंटन की सर्व सहमति से स्वीकृति प्रदान की गई।

5 प्रकरण में संलग्न अभिलेखों तहसीलदार अनुविभागीय अधिकारी आष्टा के प्रस्ताव <u>जिला नजूल निर्वतन समिति से स्वीकृति/अनुमोदन उपरांत</u> मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश 2020 की कंडिका 14 अन्तर्गत ग्राम गुन्जारी तहसील जावर जिला सीहोर की आराजी खसरा क्रमांक 86 के *कुल रकबा 11.938 हे0 11.938 हे0 भूमि नोईयत शासकीय भूमि की नोईयत धारा–237 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत नजूल घोषित करते हुये मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश 2020 की कंडिका–14 अन्तर्गत रेल लाईन निर्माण से प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को राजस्व भूमि का आवंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है* –

क्र	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	[illegible]	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	हस्तांतरित रकबा (हेक्टेयर में)
01	गुन्जारी	86	नजूल	11.938 हे0	11.938 हे0

शर्तें –

1 हस्तांतरित भूमि का उपयोग केवल प्रस्तावित प्रयोजन हेतु ही किया जावेगा।

2 आवंटित भूमि का स्वीकृत उपयोग परिवर्तन की स्थिति में पुनः सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर
जिला सीहोर

(1) (2)

पृ०क्रमांक /1997 सीहोर दिनांक 10/10/24

प्रतिलिपि

1 अनुविभागीय अधिकारी (रा) आष्टा / तहसीलदार जावर जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु। हस्तांतरण आदेश का राजस्व अभिलेखो मे अमल कराना सुनिश्चित करे। पालन उपरात अपडेटेड खसरा नकल इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।

2 सम्पर्क अधिकारी रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर सीहोर
कलेक्टर
जिला सीहोर

(1) (2) (3)

न्यायालय कलेक्टर सीहोर जिला सीहोर (म०प्र०)

प्रकरण क्रमांक 0036 / अ – 20(3) 2024-26

म प्र शासन

वन विभाग

आवेदक

विरूद्ध

सर्वसाधारण

अनावेदक

--आदेश--

(पारित दिनांक 10/10/2024)

अंतर्गत म०प्र० नजूल भूमि निर्वतन निर्देश–2020

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नजूल भूमि निर्वतन निर्देश–2020 अन्तर्गत सम्पर्क अधिकारी रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल द्वारा रेल लाईन निर्माण से प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को राजस्व भूमि का आवटन ग्राम आमला मज्जू तहसील जावर जिला सीहोर की आराजी खसरा क्रमाक 1 / 1 के कुल रकबा 21.570 हे0 हे0 में से 21.570 हे0 हे0 भूमि नोईयत शासकीय आबादी रेल लाईन से प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को राजस्व भूमि का आवंटन स्थाई रूप से आवटन किये जाने प्रारूप - एक मे आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2 प्रकरण विधिवत पंजीबद्ध किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी आष्टा से अध्याय–2 निर्देश–13 अंतर्गत मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश–2020 में विहित प्रक्रिया अनुसार जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

3 तहसीलदार / अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रकरण न्यायालय मे विधिवत दर्ज किया जाकर सर्व साधारण को सूचनार्थ, आपत्ति आमत्रण हेतु इश्तहार प्रकाशन कराया गया। प्रकाशन उपरात नियत समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। प्रकरण में स्थानीय निकाय तथा सयुक्त सचालक नगर तथा ग्राम निवेश से अभिमत चाहा गया। नियत समयावधि मे कोई अभिमत / आक्षेप प्राप्त नही हुआ। जाँच प्रकिया उपरात अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा द्वारा ग्राम आमला मज्जू तहसील जावर जिला सीहोर की आराजी खसरा नम्बर 1 / 1 कुल रकबा 21.570 हे0 मे से 21.570 हे0 नोईयत शासकीय दर्ज अभिलेख है। प्रस्तावित भूमि का विवरण इस प्रकार है.–

(1)

(2)

4 अनुविभागीय अधिकारी आष्टा से प्राप्त और प्रतिवेदन सहित प्रकरण मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश 2020 अध्याय 2 नियम 14 अन्तर्गत जिला नजूल निर्वतन समिति के समक्ष भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति हेतु रखा गया। उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत समिति द्वारा ग्राम आमला मज्जू तहसील जावर जिला सीहोर की आराजी खसरा क्रमांक 1/1 के कुल रकबा 21.570 हे0 21.570 हे0 भूमि नोईयत शासकीय भूमि की नोईयत धारा–237 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत नजूल घोषित करते हुये स्थाई आवंटन की सर्व सहमति से स्वीकृति प्रदान की गई।

5 प्रकरण में संलग्न अभिलेखों तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी आष्टा के प्रस्ताव, जिला नजूल निर्वतन समिति से स्वीकृति/अनुमोदन उपरांत मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश 2020 की कण्डिका 14 अन्तर्गत ग्राम आमला मज्जू तहसील जावर जिला सीहोर की आराजी खसरा क्रमांक 1/1 के *कुल रकबा 21.570 हे0 भूमि नोईयत शासकीय भूमि की नोईयत धारा–237 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत नजूल घोषित करते हुये मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश 2020 की कण्डिका–14 अन्तर्गत रेल लाईन निर्माण से प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को राजस्व भूमि का आवंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है –*

क्र	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	नोईयत	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	हस्तांतरित रकबा (हेक्टेयर में)
01	आमला मज्जू	1/1	नजूल	21.570 हे.	21.570 हे.

शर्तें –

1 हस्तांतरित भूमि का उपयोग केवल प्रस्तावित प्रयोजन हेतु ही किया जावेगा।

2 आवंटित भूमि का स्वीकृत उपयोग परिवर्तन की स्थिति में पुनः सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर
जिला सीहोर

कलेक्टर सीहोर

(1)

(2)

पृ०क्रमांक .../1995 सीहोर दिनांक 12/12/24

प्रतिलिपि:-

1 अनुविभागीय अधिकारी (रा) आष्टा/ तहसीलदार, जावर जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। हस्तांतरण आदेश का राजस्व अभिलेखो मे अमल कराना सुनिश्चित करें। पालन उपरांत अपडेटेड खसरा नकल इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

2 सम्पर्क अधिकारी रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर

जिला सीहोर

कलेक्टर सीहोर

(1) (2) (3)

न्यायालय कलेक्टर सीहोर जिला सीहोर (म०प्र०)

प्रकरण क्रमांक 0037 / अ-20(3) / 2024-25

म.प्र.शासन

वन विभाग आवेदक

विरूद्ध

सर्वसाधारण अनावेदक

—आदेश—

(पारित दिनांक 10/10/2024)

अंतर्गत म०प्र० नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश–2020

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश–2020 अन्तर्गत सम्पर्क अधिकारी रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल द्वारा रेल लाईन निर्माण से प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को राजस्व भूमि का आवंटन ग्राम भाउखेड़ा तहसील जावर जिला सीहोर की आराजी खसरा क्रमांक 278 के कुल रकबा 21.125 हे0 हे0 में से 21.125 हे0 हे0 भूमि नाईयत ***शासकीय रेल लाईन निर्माण से प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को राजस्व भूमि का आवंटन*** स्थाई रूप से आवंटन किये जाने प्रारूप – एक में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण विधिवत पंजीबद्ध किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी आष्टा से अध्याय–2 निर्देश–13 अतर्गत मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश–2020 में विहित प्रकिया अनुसार जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

3 तहसीलदार / अनुविभागीय अधिकारी आष्टा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रकरण न्यायालय में विधिवत दर्ज किया जाकर सर्व साधारण को सूचनार्थ आपत्ति आमंत्रण हेतु इश्तहार प्रकाशन कराया गया। प्रकाशन उपरांत नियत समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। प्रकरण में स्थानीय निकाय तथा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश से अभिमत चाहा गया। नियत समयावधि में कोई अभिमत / आक्षेप प्राप्त नही हुआ। जॉच प्रकिया उपरांत अनुविभागीय अधिकारी आष्टा द्वारा ग्राम भाउखेड़ा तहसील जावर जिला सीहोर की आराजी खसरा नम्बर 278 कुल रकबा 21.125 हे0 हे0 में से 21.125 हे0 हे0 नोईयत शासकीय आबादी दर्ज अभिलेख है। प्रस्तावित भूमि का विवरण इस प्रकार है –

(1)

(2)

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01	[illegible]	278	[illegible]	[illegible]	21.125 हे0

4 अनुविभागीय अधिकारी आष्टा से प्राप्त [illegible] प्रतिवेदन [illegible] प्रकरण मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश-2020 अध्याय-2 नियम 14 अंतर्गत जिला नजूल निर्वतन समिति के समक्ष भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति हेतु रखा गया। उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत समिति द्वारा ग्राम भाउखेड़ा तहसील जावर जिला सीहोर की आराजी खसरा क्रमांक 278 के कुल रकबा 21.125 हे0 21.125 हे0 भूमि नोईयत शासकीय भूमि की नोईयत धारा-237 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत नजूल घोषित करते हुये स्थाई आवंटन की सर्व सहमति से स्वीकृति प्रदान की गई।

5 प्रकरण में संलग्न अभिलेखों तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी आष्टा के प्रस्ताव <u>जिला नजूल निर्वतन समिति से</u> **<u>स्वीकृति/अनुमोदन उपरांत</u>** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश 2020 की कंडिका 14 अन्तर्गत ग्राम भाउखेड़ा तहसील जावर जिला सीहोर की आराजी खसरा क्रमांक 278 के ***कुल रकबा 21.125 हे0 में से 21.125 हे0 भूमि नोईयत शासकीय भूमि की नोईयत धारा-237 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत नजूल घोषित करते हुये, मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश 2020 की कंडिका-14 अन्तर्गत रेल लाईन निर्माण से प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को राजस्व भूमि का आवंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है*** -

क्र	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	नोईयत	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	हस्तांतरित रकबा (हेक्टेयर में)
01	भाउखेड़ा	278	नजूल	21.125 हे0	21.125 हे0

शर्तें -

1 हस्तांतरित भूमि का उपयोग केवल प्रस्तावित प्रयोजन हेतु ही किया जावेगा।

2 आवंटित भूमि का स्वीकृत उपयोग परिवर्तन की स्थिति में पुनः सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर
[illegible]
कलेक्टर सीहोर

(1) (2)

पृ०कमांक ...../1996 सीहोर दिनांक 19/12/24

प्रतिलिपिः-

1 अनुविभागीय अधिकारी (रा) आष्टा / तहसीलदार, जावर जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। हस्तांतरण आदेश का राजस्व अभिलेखो में अमल कराना सुनिश्चित करें। पालन उपरांत अपडेटेड खसरा नकल इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।

2 सम्पर्क अधिकारी रेल विकास निगम लिमिटैड भोपाल रेल विकास निगम लिमिटैड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला सीहोर